UPBS010038202026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-द्वितीय, बस्ती।
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1171/2026

रौनक सिंह उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र रामनाथ सिंह ,निवासी ग्राम गड़हा गौतम , थाना-कप्तानगंज, जिला बस्ती।

..... **अभियुक्त/आवेदक।**

बनाम

राज्य उ०प्र०।

.....**विपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या-57/2026,
धारा-305(ए),331(4),317(2),बी०एन०एस०
थाना -लालगंज, जिला बस्ती।

दिनांक :-18.07.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/आवेदक रौनक सिंह की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या-57/2026, धारा-305(ए),331(4),317(2)बी०एन०एस० थाना- लालगंज, जिला बस्ती में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2- प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार उपाध्याय ने थाना लालगंज, जिला बस्ती पर इस आशय की लिखित तहरीर दिया कि प्रार्थी अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र सत्यनरायण उपाध्याय ग्राम सपहा पोस्ट सिल्लो, जिला बस्ती का निवासी हूॅ। मैं दिनांक 9/3/26 को दिन में 11:00 बजे अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में सम्मिलित होने बस्ती गया था। उसी दिन रात में 1: 00 बजे मैं शादी से घर वापस आया घर के मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर घर के अंदर अपने कमरे में गया। तो देखा कि मेरा आलमारी और लाकर खुला है। जिसमें रखा सोने चांदी जेवरात कीमती 4,00000 रुपये हुआ तथा 4500 रुपए नगद किसी अज्ञात चोर द्वारा छत के रास्ते घर में घुसकर चुरा लिया है। अब तक पता कर रहा था पता नहीं चला। तब थाना आकर सूचित कर रहा हूं । कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3- अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी बेगुनाह बेकसूर है महज हैरान व परेशान करने की नीयत से वादी मुकदमा ने झूठे मुकदमा मे फर्जी तरीके से मुल्जिम बना दिया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निर्णीत ही किया गया है। प्रार्थी के दुश्मनों के इशारे पर अज्ञात मामले में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नही रहा है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नही किया गया है। न ही प्रार्थी के पास से कोई चोरी का वस्तु बरामद हुआ है। प्रार्थी को घर से पकडकर लाकर अज्ञात दर्ज मामले में अभियुक्त बनाकर चालान कर दिया। प्रार्थी का उपरोक्त घटना में कोई दूर-दूर तक शामिल होना नही है फिर भी प्रार्थी को फर्जी तरीके से मुकदमा में मुल्जिम बनाया गया हैं। प्रार्थी कई दिनों से जिला कारागार में बन्द है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही हैं। प्रार्थी बहुत ही गरीब परिवार का रहने

Digitally signed by Meenakshi Sonkar
Date: 2026.07.18 04:03:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वाला है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद बराबर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी अपनी जमानत देने के लिए तैयार है। उपरोक्त कथनो के आधार पर प्रार्थी द्वारा उचित जमानत मुचलका पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4- अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के जमानत का घोर विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के घर में घुसकर चोरी किया गया है। अतः अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है।

5- जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मैंने विस्तारपूर्वक सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

6- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त के उपर यह अभियोग है कि दिनांक 9/3/26 को दिन में 11:00 बजे वादी मुकदमा अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र सत्यनरायण उपाध्याय ग्राम सपहा, पोस्ट सिल्हो, जिला बस्ती के घर में ताला तोड़कर चोरी की गयी और चोरी का माल आपके कब्जे से बरामद हुआ। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है, घटना स्थल से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुयी है, पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस पार्टी के द्वारा कथित फर्द बरामदगी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी दिखायी गयी है।आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है।

7- उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार न करते हुए न्यायालय इस मत का है कि जमानत हेतु लिये गये आधार पर्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त रौनक सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश-</u>

आवेदक/अभियुक्त रौनक सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु०-50,000/-रू० के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अधोलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संन्तुष्टि पर रिहा किया जाये-

1- अभियुक्त अन्वेषण में सहयोग करेगे, विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित रहेगे।

2- अभियुक्त जमानत के दौरान कोई अपराध कारित नहीं करेगे।

3- अभियुक्त साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगे।

दिनांक-18-07-2026

(मीनाक्षी सोनकर)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० द्वितीय
बस्ती।